Accttor 1217 / 6.7.10   91 / 6.7.10

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प. 6 (1) वित्त/लोनिविलेनि/2005

जयपुर, दिनांक : 28.6.2010
परिपत्र संख्या : 16/2010

परिपत्र

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9/2009 दिनांक 21.5.2009 द्वारा अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण/नीलामी के लिये सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों में दिनांक 30.9.2009 तक दिये गये शिथिलन की अवधि को पुनः परिपत्र संख्या 19/2009 दिनांक 9.10.2009 द्वारा दिनांक 31.3.2010 तक बढाया गया था।

नीलामी प्रक्रिया को वर्ष 2010–11 में भी यथावत् लागू कराने की प्रक्रिया रखे जाने हेतु उपरोक्त परिपत्रों द्वारा दिये गये शिथिलन की अवधि दिनांक 31.3.2011 तक बढाई जाकर बिन्दू संख्या 14 में प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत तक कार्यालयों/विभागों के modernisation, re-furnishing हेतु अतिरिक्त बजट दिये जाने की अवधि भी दिनांक 30.9.2010 तक बढाई जाती है।

अभियान के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तर पर एतद्द्वारा जिलाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के सदस्य सचिव कोषाधिकारी होंगे, विभागाध्यक्ष के प्रतिनिधि/क्षेत्रिय अधिकारी तथा विभाग के वरिष्ठतम लेखा सेवा के अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे। इस समिति की बैठक अभियान अवधि में प्रत्येक माह में आयोजित होगी। यह समिति अभियान की सफलता हेतु हर सम्भव प्रयास करेगी।

(यदुवेन्द्र माथुर)
शासन सचिव, वित्त

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–लेखा–15/अनु.सा./अभियान/2010/2744-48

दिनांक :– 7.7.10

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, एड्स/प.क.।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर/अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी ....
4. पूल अधिकारी प्रभारी, निदेशालय।
5. गार्ड पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

Copy forwarded to Consultant, I.T. for uploading on the departmental website

8.7.10